



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273605
CG-DL-E-19062026-273605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3087]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3087]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3209(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5233 तारीख 17/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में NH347-B के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 1+000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28/11/2025" को "नई दुनिया" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में NH347-B के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 1+000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: खंडवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खंडवा					
गांव का नाम: देशगांव					
1	738/4	निजी	व्यावसायिक	0.1381	देवकुवरबाई बेवा बलदेवसिंह
2	767/2	निजी	व्यावसायिक	0.0008	अब्दुल गफ्फर खत्री पिता अल्लाहबक्श
3	768/3/1	निजी	कृषि/सिंचित	0.0005	प्रभातबाई पति अर्जुनसिंह गौड़
4	768/3/2	निजी	व्यावसायिक	0.075	प्रभातबाई पति अर्जुनसिंह गौड़
5	885/1	निजी	कृषि/असिंचित	0.0039	अलकाबाई पति राजेन्द्रकुमार
6	903	निजी	कृषि/सिंचित	0.002	बसन्तीबाई पति मोहन
7	904	निजी	कृषि/सिंचित	0.0106	प्रताप पिता नैनसिंह पटेल, मनीषा पवार पुत्री लालसिंह, रमेश कुमार पिता जगन्नाथ मासरे, रामपालसिंह पिता उमरावसिंह, रामलाल ढाकसे

					पिता बाबूलाल ढाकसे, प्रदीप पंवार पिता माणकचन्द्र पंवार, नीता कुंवर गौड़ पति नीतिराजसिंह गौड़, पलाश पिता निर्मलचंद्र विश्वास, विद्याबाई पति प्रभुलाल प्रभुलाल पिता दशरथ, ओंकारसिंह पिता राधेश्याम कछवाहे, कमलेश पिता गागनदास गुरुबक्शानी, विजयलक्ष्मी गौड़ पति अजयसिंह गौड़
8	905	निजी	कृषि/असिंचित	0.0433	नीता कुंवर पति नीतिराजसिंह गौड़, विजयलक्ष्मी गौड़ पति अजयसिंह गौड़
9	906	सरकारी	सड़क	0.0052	शासकीय
10	907/1	निजी	व्यावसायिक	0.0067	मनीष जैन पिता रामचंद्र जैन
11	907/2	निजी	कृषि/असिंचित	0.0227	असलमखान पिता रहीमखान
12	908/2	निजी	व्यावसायिक	0.0038	असफाक खत्री पिता सादिक खत्री
13	910/3	निजी	कृषि/असिंचित	0.0053	सिद्धानाथ सिंह पिता अंतरसिंह
14	911	सरकारी	सड़क	0.0576	मध्यप्रदेश शासन
Total				0.3755	

[फा. सं. NH-347B/Deshgaon_Khargone/3(a)/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2026

S.O. 3209(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5233 Dated:17/11/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to

the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH347-B in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 1+000 in the district of KHANDWA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in `Nai Duniya` and `Free Press` Both Dated **28/11/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH347-B in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 1+000 in the district of KHANDWA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: KHANDWA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khandwa					
Village: Deshgaon					
1	738/4	Private	Commercial	0.1381	Devkunwar Bai Bewa Baldev Singh
2	767/2	Private	Commercial	0.0008	Abdul Gaffar Khatri Pita Allahbaksh
3	768/3/1	Private	Agriculture/Irrigated	0.0005	Prabhat Bai Pati Arjun Singh Gaud
4	768/3/2	Private	Commercial	0.075	Prabhat Bai Pati Arjun Singh Gaud
5	885/1	Private	Agriculture/Unirrigated	0.0039	Alkabai Pati Rajendra Kumar
6	903	Private	Agriculture/Irrigated	0.002	Basanti Bai Pati Mohan
7	904	Private	Agriculture/Irrigated	0.0106	Pratap Pita Nain Singh Patel, Manisha Pawar Putri Lalsingh, Ramesh Kumar Pita Jagannath Masare, Rampal Singh Pita Umrao Singh, Ramlal Dhakase Pita Babulal Dhakase, Pradip Pawar Pita Manakchand Pawar, Nita Kunwar Gaud Pati Nitiraj Singh Gaud, Palash Pita Nirmalchand Vishwas, Vidyabai Pati Prabhulal Pita

					Dashrath, Onkar Singh Pita Radheshyam Kachhwahe, Kamlesh Pita Gagandas Gurubakshani, Vijaylakshmi Gaud Pati Ajay Singh Gaud
8	905	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.0433	Nita Kunwar Pati Nitiraj Singh Gaud, Vijaylakshmi Gaud Pati Ajay Singh Gaud
9	906	Government	Sadak	0.0052	Government
10	907/1	Private	Commercial	0.0067	Manish Jain Pita Ramchandra Jain
11	907/2	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.0227	Aslamkhan Pita Rahimkhan
12	908/2	Private	Commercial	0.0038	Asfak Khatri Pita Sadik Khatri
13	910/3	Private	Agriculture/ Unirrigated	0.0053	Siddhanath Singh Pita Antar Singh
14	911	Government	Sadak	0.0576	M.P. Government
Total				0.3755	

[F. No. NH-347B/Deshgaon_Khargone/3(a)/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director